

आवश्यक/फैक्स

यातायात पुलिस निदेशालय, ३०प्र०, सी-२३१, सेक्टर-ए, महानगर, लखनऊ
पत्र संख्या:डीटी-४०९-२०११/ ७४२ दिनांक: लखनऊ मार्च . ११ ,२०१३

सेवा में,

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/
प्रभारी जनपद, उत्तर प्रदेश

विषय- ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन एवं ट्रैफिक जाम रोकने के संबंध में।

अवगत कराना है कि शासन के पत्र संख्या: ४३१/छ:-पु-२-१३ दिनांक ०५-०३-२०१३ से यह निर्देश दिया गया है कि जनपदों में इस प्रकार की व्यवस्था की जाय कि जनपद मुख्यालयों से गुजरने वाले नेशनल हाई-वे पर जनपद मुख्यालय के निकट ट्रैफिक जाम की स्थिति उत्पन्न न होने पाये तथा पुलिस कर्मी प्रदूषण चेकिंग के बजाय इस बात पर विशेष ध्यान दे कि गाड़ियों द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन न होने पाये। वाहनों पर गलत तरीके से नम्बर प्लेट न लगे हो व गाड़ियों द्वारा ओवर लोडिंग न की जाय।

अतएव अनुरोध है कि शासन की अपेक्षानुसार उपरोक्त कार्यवाही हेतु जनपद के अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों को निर्देशित करें तथा अपेक्षानुसार जनपदों में कार्यवाही कराना सुनिश्चित किया जाय।

११.३.२०१३
(ए०के०८० द्विवेदी)
अपर पुलिस महानिदेशक/निदेशक,
यातायात, उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1- समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
 - 2- समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उप महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
- प्रतिलिपि श्री धर्म चन्द्र पाण्डेय, अनु सचिव, गृह (पुलिस) अनुभाग-२, ३०प्र० शासन, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।